तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 43/2025 जीसीएमएस : 2025/79 सन्जू देवी बनाम सरकार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. व धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.06.2025		

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित होकर फार्म नं. 3 मय दस्तावेज पेश किये। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता निवेदन किया कि वाद पत्र रिकार्ड दुरूस्ती के अनुतोष पर आधारित है, रिपोर्ट तहसीलदार प्रकरण में प्राप्त हो चुकी है बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किय गया है कि चक 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 31 मु.नं. 41 प.नं. 102/10 कि.नं. 1 ता 25 का 6.325है. अनकमाण्ड भूमि मुश्तरकता खाता में है जिसमें वादीया के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। रकबा वादीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा के द्वारा खरीदशुदा है। रकबा के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संहवन से वादीया के पति का नाम लालाराम अंकित हो गया है जबकि वादीया के समस्त दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जन आधार कार्ड व पति लालचन्द के आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में वादीया के पति का नाम लालचन्द अंकित है। वादीया के पति का सही नाम लालचन्द है। राजस्व रिकार्ड में सन्जू देवी पत्नी लालराम के स्थान पर सन्जू देवी पत्नी लालचन्द दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित है न की घोषणात्मक अनुतोष पर आधारित है ऐसी स्थिति में राज.काश्त.अधि. की धारा 88 के तहत प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/1767 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार रकबा प्रार्थीया का खरीदशुदा है। रजिस्टर्ड दस्तावेज में प्रार्थीया के पति का नाम लालाराम ही अंकित है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 40 से राजस्व रिकार्ड में सन्जूदेवी पत्नी लालाराम का अंकन हुआ है। राजस्व रिकार्ड मुताबिक कोई स्थगन/विवाद नहीं है।

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों छायाप्रति बैंक पासबुक लाल चन्द, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड लाल चन्द, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड संजू देवी में नाम लाल चन्द अंकित है। प्रगति पत्र कक्षा–7 विक्रम कुमार जो कि राशन कार्ड लाल चन्द में बतौर पुत्र दर्ज है, में पिता का नाम लाल चन्द अंकित है। हांलाकि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई हैं, लेकिन न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती की जानी न्यायालय की राय में उचित है।

अतः वाद पत्र रिकार्ड दुरूस्ती की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 1 डीएम खाता सं. 31 में सह काश्तकार के नाम सन्जू देवी पत्नी लालराम की दुरूस्ती करते हुए के स्थान पर सन्जू देवी पत्नी लाल चन्द दर्ज [illegible] अंकन यथावत रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को [illegible] प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:42:23 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्[illegible]
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर